

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 4 (131) आकाशि/नि.स/2013/125

दिनांक:- 28/11/17

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार आकादमी सत्र 2017-18 के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ अधिकृत की जाती है-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय/विषय
मास्टर विद्याराम महाविद्यालय, तसीमों, तहो सैफउड, घौलपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/बृज विठ्ठियो भरतपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक कला वर्ग- कम्प्यूटर, अंग्रेजी सा०, भूगोल, हिन्दी सा०, अर्थशास्त्र, राजविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र।

- संस्था मन 2018-19 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार आवेदन करेगी।
- संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता पर विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विषयवार सीटों का अंवर्टन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा एवं तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सदों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भद्रन(विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपान्तरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अनाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जायेगा।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत नामिक्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- संस्था द्वारा यू.जी.सी. योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संरक्षा का रहेगा।
- आवश्यकता अनुसार आसुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था द्वारा रक्षायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध न होना उत्तम।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोबरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गार्ड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं भोवाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2017-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देंगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [aishe.nic.in](http://aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard Copy अपार्टी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेंगे।
- उपरोक्त शर्तों की पातना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

आयुक्त, ७/१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, अतिरिक्त मुख्य संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, घौलपुर।
- कुल संचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/बृज विठ्ठियो भरतपुर।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा आयुक्तालय कॉलेज जिला राजस्थान जयपुर।